केन्द्रीय मुहर विभाग-2

हमारा संदर्भ : के.मु.वि.-2/16: 251 06 08 2018

विषय: आई एस 251:1998 (सोडा पाउडर तकनीकी) के संशोधन संख्या 1 जून 2018 का अनुपालन

- 1. आई एस 251:1998 के संशोधन संख्या 1 को प्रकाशित किया गया है। राजपत्र अधिसूचना सं. 3408 (अ.) दिनांक 12 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।
- 2. इस संशोधन के कार्यान्यवन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है
- 1. सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्यवन के बारे में सूचित करें।

(अदाने ख्रासी) वैज्ञानिक सी (के.मु.वि-2)

प्रमुख (के.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/सीएचडी/एलपिपीडी को परिचालित आई टी एस विभाग - बीआईएस इंट्रानेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 251 06 08 2018

Subject: Implementation of Amendment No. 1 June 2018 to IS 251:1998 (Soda Ash Technical)

- 1. Amendment No. 1 to IS 251:1998 has been published as per Gazette Notification No. S.O. 3408 (E) dated 12 July 2018.
- 2. This amendment does not necessitate any change in the existing STI.
- 3. All BOs are requested to inform the Licensees/Applicants under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Adane Khrasi) Scientist-C (CMD-2)

Head (CMD-2)

Circulated to all ROs/BOs//Labs/CHD/LPPD

Copy to: ITS for hosting on BIS Intranet

AMENDMENT NO. 1 JUNE 2018

TO

IS 251: 1998 SODA ASH TECHNICAL — SPECIFICATION

(Fourth Revision)

(Page 1, clause 2) — Substitute 'IS 264: 2005 Nitric acid (third revision)' for 'IS 264: 1976 Nitric acid (second revision)'.

(CHD 01)

Publication Unit, BIS, New Delhi, India